


24/6/16

पतावती राजस्व लोक अदालत शिविर में चैथ हरी
जैर आयलान नं. 1 व 2 पूर्व में 'तामीत्य होने के
बावजूद, न्यायालय में उपर नहीं तथा अनुचना के
बावजूद राजस्व लोक अदालत शिविर में नहीं उपर
नहीं अतः जैर आयलान नं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्ष
कार्यवाही की जाये व प्राचीन यह अस्था

यालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

मिलेधारण को स्वीकार किया जाता है। तथा जीला-
पलान को जरिये ठासुधार्क मिलेधारण से पावन्प किया
जाता है कि सायल की खातेदारी की अमी २१. १. ५५०
७५१ को अग्र जावरी ~~की~~ जुजर रिहार्ड व मोके
की स्थिति यथावत बनाये रखे। यह मीर्णिय १-२
ला केवल दावा एक प्रथमी रहेगा
यह मीर्णिय उपस्थित आमीगे के समक्ष पुनाया
व लिखाया गया।



उप जिला कलेक्टर
हिण्डौन सिटी, जिला करौली